राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 768/2014

भंवर लाल कुमावत **–अपीलार्थी**

बनाम

1. आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.09.2014
आदेश की दिनांक : 29.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी कि प्रथम नियुक्ति दिनांक 11.02.1980 को कृषि विस्तार कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था, बाद में कृषि विस्तार कार्यकर्ता के पद को कृषि पर्यवेक्षक के रूप में पुनः नामित किया गया था। अपीलार्थी को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया एवं 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 11.02.1998 से दिया गया, परन्तु अपीलार्थी को 27 वर्ष की सेवा पूरी करने पर दिनांक 11.02.2007 से तृतीय चयन वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 23.02.1988 के द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने के दंण्ड से दण्डित किया गया, जो अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) कोर्ट नंबर 3, जयपुर शहर की फाइल पर सिविल मुकदमा संख्या 369/98 (610/91) का विषय था। विद्वान अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, कोर्ट नंबर 3, जयपुर शहर ने दिनांक 01.05.1999 (अनुलग्नक–1) के फैसले और डिक्री द्वारा उक्त मुकदमे का फैसला सुनाय, जिसके द्वारा दण्ड आदेश दिनांक 23.02.1988 को अप्रभावी, अवैध, शून्य और अधिकार क्षेत्र के बिना माना जाकर निर्णय पारित किया गया। अपीलार्थी को दिनांक 11.02.2007 को 27 वर्ष की सेवा के बाद तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके लिए सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), अजमेर के कार्यालय ने पत्र दिनांक 27.12.2012 (अनुलग्नक–2) द्वारा संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन) राजस्थान, जयपुर से मंजूरी मांगी थी। संशोधित वेतनमान नियम, 2008 (छठे वेतन आयोग) को दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी कर दिया गया। अपीलार्थी ने छठे वेतन आयोग के तहत दिनांक 11.02.2007

को 27 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद चयनित वेतनमान का लाभ लेने के बाद संशोधित वेतन निर्धारण का विकल्प दिया, लेकिन वेतनमान नियम, 2008 (छठे वेतन आयोग) के तहत उनका वेतन निर्धारण बिना किसी आधार के नहीं किया गया। इस संबंध में अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 25.05.2014 (अनुलग्नक–3) द्वारा डिमाण्ड ऑफ जिस्टिस का नोटिस प्रस्तुत किया गया, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी कम वेतन पाने वाला कर्मचारी है और तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं देने और संशोधित वेतनमान नियम, 2008 (छठे वेतन आयोग) के तहत निर्धारण नहीं करने के कारण उसे हर महीने कम वेतन मिल रहा है।

अतः अपीलार्थी ने अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 11.02.2007 से दिलवाया जावे और राजस्थान संशोधित वेतनमान नियम, 2008 के अनुसार छठें वेतन आयोग का लाभ दिनांक 11.02.2007 से प्रदान करने एवं एरियर राशि पर 27 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिलवाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 23.02.1988 के द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है, दण्ड का प्रभाव स्वीकृत 9 वर्षीय चयनित वेतनमान पर नही डाला गया। अतः अपीलार्थी को 9 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 25.01.1992 के स्थान पर दण्डादेश का प्रभाव डालते हुए दिनांक 25.01.1994 से संशोधित आदेश जारी किये गये। साथ ही वित्त विभाग के आदेश दिनांक 12.09. 2008 एवं दिनांक 06.10.2008 तथा दिनांक 31.12.2009 के अनुसरण में अपीलार्थी जिसकी नियुक्ति दिनांक 11.02.1980 के अनुसार दिनांक 11.02.2007 से 27 वर्षीय आश्वासित केरियर प्रगति (एसीपी) वेतन बैण्ड 9300–34800 पे ग्रेड में 4800/– स्वीकृत की गई। जारी आदेश दिनांक 07.10.2016 (अनुलग्नक–आर/1) पर अवलोकनीय है। अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जा चुका है। माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क०ख०) एवं न्यायिक मजि० प्रथम वर्ग, कम संख्या–3, जयपुर नगर, जयपुर के निर्णय दिनांक 01.05.1999 की प्रमाणित प्रति इस विभाग को, सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) अजमेर के माध्यम से वर्ष 2013 में प्राप्त हुई है। विभागीय विधि शाखा की टिप्पणी अनुसार डिक्री की क्रियान्विती अवधि 3 वर्ष तक ही होती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अनुशीलन कर मनन किया गया

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी को 27 वर्ष की सेवा पर देय चयनित वेतनमान दिनांक 11.02.2007 से स्वीकृत करने एवं उसके तत्पश्चात संशोधित वेतनमान नियम 2008 के अनुसार वेतन नियतन करने का अनुतोष चाहा गया है। साथ ही बकाया राशि पर 24 प्रतिशत ब्याज से भुगतान करने का अनुतोष चाहा गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 07.10.2016 द्वारा दिनांक 11.02.2007 से चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जा चुका है और वित्त विभाग के आदेश दिनांक 12.09.2008, दिनांक 06.10.2008 एवं दिनांक 31.12.2009 के अनुसरण में वेतन बैण्ड 9300–34800 में ग्रेड पे 4800 स्वीकृत की गई है। अतः वांछित अनुतोष प्रदान करने के आधार पर अपील को खारिज करने का निवेदन किया गया है। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पूर्व में स्वीकृत प्रथम चयनित वेतनमान को दिनांक 25.01.1992 के स्थान पर दिनांक 25.01.1994 से स्वीकृत किये जाने के संबंध में एतराज प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध जारी दण्डादेश को सिविल न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 01.05.1999 द्वारा अपास्त किया जा चुका है। अतः प्रथम चयनित वेतनमान को दिनांक 25.01.1992 के बजाय संशोधित कर दिनांक 25.01.1994 से स्वीकृत करना नियम विरूद्ध है। इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निवेदन किया कि उन्हे सिविल न्यायालय के आदेश की प्रति वर्ष 2013 में प्राप्त हुई एवं डिक्री की क्रियान्विति अवधि 3 वर्ष तक ही होती है। अपीलार्थी द्वारा विभाग को प्रेषित लीगल नोटिस (अनुलग्नक–3) जो दिनांक 25.05.2014 को प्रेषित किया जाना अंकित है। इसमें भी सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश/डिक्री दिनांक 01.05.1999 का कोई उल्लेख नहीं है। प्रस्तुत अपील में भी इस विषयक कोई अनुतोष नहीं है मात्र तृतीय चयनित वेतनमान को स्वीकृत कराने का अनुतोष है, जो प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर चयनित वेतनमान के संबंध में चाहा गया अनुतोष प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, परन्तु जहां तक विलंब से भुगतान किये जाने का विषय है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि विलंब से किये गये भुगतान पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अपीलार्थी को चार माह की अवधि में भुगतान किया जावे।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य